फैक्स/ई–मेल

आदेश

सभी जिला/ईकाई में **दिनांक 05.05.2005 से 14.05.2005** तक नियुक्त एवं मैट्रीक उत्तीर्ण सभी श्रेणी (सामान्य/पिछडी जाति/अनु0जन जाति/अनु0 जाति) के वैसे आरक्षी जो आरक्षी बुनियादी प्रशिक्षण पूर्णरूपेन उत्तीर्ण हों, वैसे हवलदार जो **दिनांक 14.05.2005 के पूर्व** मैट्रीक उत्तीर्ण हों तथा वैसे स0अ0नि0 जो बिना ए0सी0पी0 प्रशिक्षण या पी0टी0सी0 प्रशिक्षण अभी तक नहीं प्राप्त किये हैं उन्हें साक्षर आरक्षी से स0अ0नि0 के पद पर प्रोन्नति के लिये निर्धारित पी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु **दिनांक13.09.2015** को **जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा** में योगदान काराने का आदेश दिया जाता है।

2– उक्त निर्धारित तिथि **(दिनांक 05.05.2005 से 14.05.2005)** के पूर्व से नियुक्त साक्षर आरक्षी प्रशिक्षण के लिये शेष रह गये हों तो उन्हें प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व पुलिस मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर ही प्रस्थान करायी जाय।

3– उक्त कोर्स के लिये निर्धारित तिथि तक नियुक्त एवं मैट्रिक उत्तीर्ण सा0आ0/साक्षर हवलदार/स0अ0नि0 किसी कारण से प्रशिक्षण में योगदान नहीं देते हैं तो योगदान नहीं देने के कारणों का उल्लेख करते हुये कार्यालय आदेश या जिलादेश अंकित कर संबंधित कर्मियों के सेवा पुस्तिका में लाल ईंक से अंकित किया जाय कि इस प्रशिक्षण से होने वाले सभी प्रकार के लाभ यथा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/अगले पद में प्रोन्नति का लाभ प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से देय होगा तथा ऐसे सभी जिलादेशों की प्रति एवं संबंधित कर्मियों से प्राप्त आवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त निर्धारित तिथि तक के नियुक्त एवं मैट्रीक उत्तीर्ण वैसे कर्मी जो चिकित्सीय कारणों से प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं उन्हें चिकित्सा पर्षद के समक्ष उपस्थापित कराकर चिकित्सा पर्षद का मंतव्य प्राप्त कर अवगत कराई जाय।

5– सभी जिला/ईकाई के प्रधान से अनुरोध है कि अपने जिला/ईकाई में उपलब्ध उक्त आदेशित अवधि तक के साक्षर आरक्षी/साक्षर हवलदार/स0अ0नि0 को निर्धारित समय पर पी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पहचान पत्र, चिकित्सीय योग्य प्रमाण पत्र, दो जोड़ा पूर्ण वस्त्रादि, बेडिंग एवं मेश खर्च हेतु आवश्यक राशि इत्यादि के साथ जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा में योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतः पुलिस अधीक्षक, जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुरूप योगदान दिये कर्मियों का प्रशिक्षण **दिनांक 14.09.2015 से** विधिवत प्रारम्भ करते हुये योगदान दिये कर्मियों की सूची नियुक्ति तिथि, मैट्रीक उत्तीर्णता तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता के साथ **दिनांक 21.09.2015 तक** उपलब्ध करायी जाय। उक्त प्रशिक्षण के लिये योगदान देने की निर्धारित तिथि के पश्चात् योगदान दिये कर्मियों का योगदान स्वीकार करने के पूर्व पुलिस मुख्यालय से मंतव्य प्राप्त कर ही योगदान स्वीकार किया जाय।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 1347 / प्रशि0

प्र0–05–02–06 / 2013

प्रशिक्षण निदेशालय, झारखण्ड पुलिस, राँची।

राँची, दिनांक 27 अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान / विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, राँची / बोकारो / दुमका / पलामू / प्रोविजन / एस0टी0एफ0 / अप0अनु0वि0 / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / अभियान / मुख्यालय को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस उप–महानिरीक्षक,राँची / पलामू / चाईबासा / बोकारो / हजारीबाग / दुमका / रेलवे / वितंतुकार्मिक / अप0अनु0वि0 / विशेष शाखा / जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट / प्रशिक्षण सह–प्राचार्य, पी0टी0सी0, हजारीबाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची / जमशेदपुर / सभी पुलिस अधीक्षक (रेलवे / वितंतु / वि0शा0 / अप.अनु.वि. / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / एस.टी.एफ. / एस.सी.आर.बी., राँची / जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा / जंगल वारफेयर स्कूल,नेतरहाट सहित) झारखण्ड को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, रक्षित परिवहन मुख्याल्य / केन्द्रीय भण्डार, होटवार, राँची / प्राचार्य, टी0टी0एस0, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।